संख्या 135-भू0.रा/18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर।

राजस्व विभाग

देहरादून : दिनांक : 17 दिसम्बर, 2006

विषयः श्री राकेश कुमार, निवासी–गदरपुर को आटा चक्की लगाने हेतु तहसील गदरपुर के ग्राम मसीत में कुल 0.209 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1079/सात–स0भू0अ0/2006 दिनांक 31 जुलाई, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्री राकेश कुमार, निवासी–गदरपुर को आटा चक्की लगाने हेतु उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील गदरपुर के ग्राम मसीत में कुल 0.209 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं :–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

.........(2)

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन से भूमि क्रय की अनुमति प्राप्त होने तक इकाई स्थल पर किसी प्रकार का पूंजी निवेश नहीं करेगी।

7– सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

8– स्थानीय प्रभावी बायालॉज के अनुरूप फैक्ट्री का निर्माण कार्य किया जायेगा।

9– स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल मल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग आटा चक्की की स्थापना हेतु किया जायेगा।

11– आवेदक को आटा चक्की उद्योग पर भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

12– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

2– तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
3– सचिव, श्रम विभाग, उत्तरांचल शासन।
4– आयुक्त, कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
5– श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी– आवास विकास गदरपुर, जिला–उधमसिंह नगर।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।